सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन, 1947 (श०)

संख्या - 91 राँची, शुक्रवार, 6 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

20 फरवरी, 2026

संख्या-5/आरोप-1-30/2018 का.- 1071--नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक-397 दिनांक-19.01.2018 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-772/स्था० दिनांक- 19.12.2017 द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री रविन्द्र कुमार सिंह, झा०प्र०से० (को० क्र0-618/03), तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरुद्ध निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित किया गया हैः-

आरोप संख्या-1:- JnURLM के अन्तर्गत IHSDP योजना की मार्गदर्शिका के द्वारा स्लम क्षेत्र के विकास के लिए लाभुकों की सहभागिता और श्रम शक्ति का उपयोग के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत DPR में छः स्लम क्षेत्र और 932 परिवार संशोधित लाभुक 672 की विवरणी उपलब्ध करायी गयी, परन्तु श्री रविन्द्र कुमार सिंह तदेन भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-प्राधिकृत पदाधिकारी IHSDP, चतरा द्वारा स्वेच्छाचारिता बरतते हुए स्लम क्षेत्र के अलावे अन्य क्षेत्र एवं DPR से भिन्न 250 अयोग्य लाभुकों का चयन किया गया ।

आरोप संख्या-2:- IHSDP के तहत दिशा निदेश का उल्लंघन करते हुए अयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ पहुँचाया गया। नगर निकाय के बोर्ड द्वारा चयनित लाभुकों की अनुमोदितसूची को नगर निकाय के बेबसाईट तथा सूचना पट पर प्रकाशन किया जाना था, परन्तु श्री सिंह द्वारा स्वेच्छाचारिता बरतते हुए अयोग्य लाभुकों का चयन किया गया। नगर निकाय बोर्ड द्वारा इसका अनुमोदन नहीं कराया गया और न ही लाभुकों की सूची का प्रकाशन किसी स्तर से कराया गया जिससे योग्य और अर्हक लाभुकों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं हुई और सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ।

आरोप संख्या-3:- IHSDP योजना के कार्यान्वयन के लिए उपायुक्त, चतरा द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में श्री सिंह द्वारा दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया। इनके द्वारा योजना का समुचित अनुश्रवण और पर्यवेक्षण नहीं किये जाने से सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ तथा स्लम क्षेत्र में आधारभुत संरचनायुक्त आवास निर्माण की योजना सफलीभूत नहीं हुई।

2. उक्त आरोप पत्र में श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-3165, दिनांक-01.06.2023 के द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही के उपरांत जाँच निष्कर्ष का प्रेषण उनके पत्रांक-312, दिनांक 20.03.2025 के द्वारा इस विभाग को की गयी है ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा श्री रविन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली) 2016 के नियम 17 उपनियम 17(11) एवं 17(20) के तहत एक पक्षीय सुनवाई किया गया। सुनवाई के उपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 2016 के नियम 17(23) अन्तर्गत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है ।

आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप, उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित मंतव्य के आलोक में विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है ।

4. श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य तथा विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री सिंह के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के तहत उनकी पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने का दण्ड को अधिरोपित करने के बिन्दु पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा करने संबंधित प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक-3263, दिनांक 03.06.2025 के द्वारा प्रस्तावित दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी ।

द्वितीय कारण पृच्छा अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक 15.08.2025 को प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए श्री सिंह को द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया ।

5. उक्त के क्रम में श्री रविन्द्र कुमार सिंह, से०नि० झा०प्र०से० (को०क्र०- 618/03). तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा की पत्नी श्रीमती माला सिंह, पता डी0-2, मून सिटी, डिमना रोड़, मानगो, जमशेदपुर का आवेदन दिनांक शून्य, इस विभाग में प्राप्त हुआ। उक्त आवेदन में अंकित किया गया कि-

'मेरे पति श्री रविन्द्र कुमार सिंह, से०नि० झा०प्र०से० (को०क्र०- 618/03), तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा PSLV रोग से ग्रसित हैं, जो करीब दो सालों से चलने-फिरने, खाने-पीने, बोलने-चालने में असमर्थ हैं। किसी प्रकार उनकी देखभाल एवं ईलाज मेरे द्वारा किया जा रहा है, परन्तु उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपके द्वारा किये गये द्वितीय कारण पृच्छा के संबंध में उनकी अनुपस्थिति में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण उनके अथवा मेरे द्वारा समर्पित किया जाना असंभव प्रतीत होता है ।

विदित हो कि उनके विरुद्ध चलाये गये आरोप के संबंध में भी उनकी मानसिक एवं शारीरिक अस्वस्थता को देखते हुए किसी प्रकार का बचाव पक्ष जानकारी के अभाव में मेरे द्वारा नहीं रखा जा सका है ।

ऐसी परिस्थिति में उनके ईलाज से संबंधित कागजातों की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को मद्देनजर देखते हुए उन्हें इस आरोप से मुक्त करने एवं सरकार के द्वारा की गयी कटौती को भी पुर्नबहाल करने की कृपा की जाय ताकि उनका ईलाज सही ढंग से मेरे द्वारा किया जा सके ।'

6. विभाग के द्वारा प्रस्तावित दण्ड के बिन्दु पर श्री सिंह से वांछित द्वितीय कारण पृच्छ। के जवाब के क्रम में उनकी पत्नी श्रीमती माला सिंह के द्वारा समर्पित आवेदन में श्री सिंह के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के आधार पर आरोप से मुक्त करने एवं सरकार के द्वारा की गयी कटौती को भी पुर्नबहाल करने का अनुरोध किया गया है। श्री सिंह की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति सही नहीं रहने के अतिरिक्त आवेदन में प्रमाणित आरोपों के संबंध में कोई ऐसा तथ्य समर्पित नहीं किया गया है, जिससे श्री सिंह को प्रमाणित आरोपों एवं प्रस्तावित दण्ड से मुक्त किया जा सके ।

7. समीक्षोपरान्त, श्री सिंह की पत्नी श्रीमती माला सिंह से प्राप्त आवेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए श्री रविन्द्र कुमार सिंह, से०नि० झा०प्र०से० (को०क्र०-618/03), तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत उनकी पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया ।

तदोपरांत विभागीय पत्रांक- 5817, दिनांक 06.10.2025 के द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध उपर्युक्त अनुमोदित दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से किया गया ।

8. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक- 251, दिनांक- 21.01.2026 के द्वारा श्री रविन्द्र कुमार सिंह को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत उनकी पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने के अधिरोपित दण्ड पर परामर्श दिया गया है ।

9. अतः श्री रविन्द्र कुमार सिंह, से०नि० झा०प्र०से० (को०क्र०-618/03), तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत उनकी पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रविन्द्र कुमार सिंह, से०नि० झा०प्र०से० (को०क्र०-618/03) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 91 - 50